न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 12/23 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2023/33

उनवान

1. लक्ष्मन पुत्र सुगनी
2. सत्यप्रकाश पुत्र सुगनी
3. विष्णु कुमार पुत्र सुगनी

} जातियान कुम्हार निवासीयान ग्राम झारौली तहसील व जिला भरतपुर।

.....,अपीलांट।

बनाम

1. धर्म सिंह पुत्र अमर सिंह
2. मान सिंह पुत्र भगवान सिंह
3. पूरन पुत्र श्री घीसी
4. रोशन पुत्र सुखराम
5. अमरचन्द पुत्र सुखराम
6. नवल सिंह पुत्र सुखराम

} जाति कुम्हार निवासी ग्राम झारौली तहसील व जिला भरतपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

8. तारावती पुत्री सुगनी पत्नी गनपत जाति कुम्हार निवासी पीढी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
9. भागवती पुत्री सुगनी पत्नी पप्पू जाति कुम्हार निवासी पीढी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
10. लालवती पुत्री सुगनी पत्नी मुकुट जाति कुम्हार निवासी बरसो तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, भरतपुर दि0 22.09.2017 व संशोधित डिक्री दिनांक 21.12.2021 मि.नं. 186/13 उनवानी मृतक सुगनी बनाम धर्म सिंह

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक–28.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2017 व संशोधित डिक्री दिनांक 21.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के उभयपक्षकारान सहखातेदार काश्तकार दर्ज अभिलेख हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वर्तमान में उभयपक्षकारान के सम्मिलित काश्त करने में आये दिन फसल को लेकर झगडा हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि विभाजन प्रस्ताव अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में बिना अपीलाण्ट को सूचित किये हुये उपखण्ड अधिकारी के मौखिक आदेशो से पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। जबकि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार को पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाना आज्ञापक है। इस प्रकार प्रकरण में राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। विभाजन प्रस्ताव रैस्पो0 से मिल्लत करते हुये तैयार किये गये हैं। डिक्री संशोधन करने पर भी अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। दो साल बाद डिक्री बनी। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि अपीलाधीन आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल होने पर एवं रैस्पो0 द्वारा धमकी दिये जाने पर अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो पायी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2017(1) पेज 689, 2021(2) पेज 1318, 2023(1) पेज 77, आरबीजे 2018 पेज 676, 2019 पेज 123, 2022 पेज 8 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विभाजन प्रस्ताव में रास्ते के सहारे की भूमि में सभी को बराबर–बराबर हिस्से दिये गये हैं। रास्ते के आगे वाले हिस्से पर अपीलाण्ट कब्जा करना चाहते हैं। डिक्री 2017 में बनी, उसके पॉच साल बाद अपील प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। पक्षकार स्वयं को अपने प्रकरण में सजग रहना चाहिये। अपीलाण्ट के पिता के हस्ताक्षर विभाजन प्रस्तावो पर हो रहे हैं। सभी की सहमति से ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार की उपस्थिति में तैयार किये गये हैं। विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः अपीलाण्ट की सारी आपत्तियॉ निराधार हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.09.2017 को निर्णय पारित किया। उसके बाद डिक्री दिनांक 10.06.21019 को तैयार की गयी। फिर बाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0 प्रस्तुत होने पर निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2017/10.06.2019 में संशोधन किया गया जिसका नोट डिक्री में लगाया गया। उक्त सभी कार्यवाहियों में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं ना ही अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा ही कुछ बताया गया। निर्णय के बाद डिक्री भी दो वर्ष बाद बनाई गयी है एवं संशोधन दिनांक 21.12.2021 को किया गया। निर्णय का अमल राजस्व रिकार्ड में होने एवं रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट को धमकी दिये जाने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो पायी। इस प्रकार जानकारी की दिनांक से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत है। हमने गौर किया। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। किसी अभिभाषक की त्रुटि से पक्षकार को न्याय से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। वैसे भी अनेको न्यायिक दृष्टान्तो में मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारित किया जाना उद्धरित किया है। अतः हम अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट को जानकारी की तिथि से मियाद अन्दर शुमार किया जाना उचित समझते हैं।

6. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। जिस पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर हो रहे है। इसके अलावा विभाजन प्रस्ताव भी पटवारी हल्का ने उपखण्ड अधिकारी के मौखिक आदेशो से

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तैयार किये गये हैं उक्त विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित हो सके विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान को सूचित किया गया हो। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी व प्रत्येक कुरे में लगान की फैलावट आदि नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2017 व संशोधित डिक्री दिनांक 21.12.2021 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में स्वयं तहसीलदार, पक्षकार की उपस्थिति में विवादित आराजी का विभाजन के नियमो अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुये एवं उन पर उभयपक्ष को आपत्ति का अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारो को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.01.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/12/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर